

24.9.24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

प्रार्थीगण ने मूल वाद जरिये राजीनामा विद्धो कर लिया

है। अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य

नही रहा है। अतः प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन इसी

स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार

होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क
(SDO) धौरीगन्ना

